न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 1/2015 (राजसमन्द आर्डर)

हमेरा पिता जोतराम जी जाट, निवासी नान्दोली (मृतक) के बजाय :–

1. श्रीमती वरदी बेवा हमेरा जी जाट, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती सुखी पुत्री हमेरा जी पत्नी डालचन्द जी जाट, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. अमरचन्द पिता भगवानलाल जी जाट, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
2. श्रीमती जमना पुत्री भगवानलाल जी जाट, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)
3. श्रीमती सोसरी पुत्री भगवानलाल जी जाट, निवासी नान्दोली, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी राजसमन्द
दिनांक 20.09.2013 प्र॰सं॰ 95/2011

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

———::———

निर्णय **दिनांक 30–08–2018**

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/विपक्षीगण के विरूद्ध एक आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नान्दोली में आराजी नंबर 596 रकबा 4 बीघा 4 बिस्वा भूमि स्थित है, जो भगवान, सवाईराम पिता जालू, मोती पिता डालू, हीरा पिता नोला, प्रताब, उदा, केला पिता लालू, देवा पिता रूपा, भैरूलाल, हमेरा पिता जोतराम, रामा, देवीलाल पिता चतरभुज जाट के नाम दर्ज थी, लेकिन विपक्षीगण के पिता भगवानलाल

ने षडयंत्र कर उक्त भूमि के सहखातेदारों से मिलकर एक आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हक पक्षकार अलग–अलग काबिज होकर भूमि का बंटवाड़ा करना चाहते हैं इसलिए उपरोक्त आराजी को खाता संख्या 14 से खारिज करा भगवान पिता जालू जाट के नाम दर्ज करायी जावे। उक्त बंटवाड़ा फर्जी रूप से तैयार किया गया है एवं उस समय हमेरा की उम्र 13 वर्ष होकर नाबालिग था। वादग्रस्त भूमि में भगवान, सवाईराम पिता जालू, मोती पिता डालू, हीरा पिता नोला, प्रताप, उदा, केला पिता लालू, देवा पिता रूपा, भैरूलाल, हमेरा पिता जोतराम, रामा, देवीलाल पिता चतरभुज जाट का भी हक अधिकार है। भगवानलाल का स्वर्गवास होकर विपक्षीगण उसके वारिस हैं। सवाईराम का भी स्वर्गवास हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 5 व 6 हैं, मोती की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस गणेश, हरीराम व गमना हैं। हरीराम की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसका पुत्र भैरू है। मगना भी मर चुका है जिसका पुत्र माधूलाल है। हीरा भी मर चुका है जिसका पुत्र बद्रीलाल प्रतिवादी संख्या 11 है। प्रताप की भी मृत्यु हो चुकी है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 12 व 13 हैं। बद्रीलाल की भी मृत्यु हो चुकी है, बद्रीलाल ने केला को गोद रखा है। देवा लाऔलाद फोत हुआ उसने शंकर को गोद रखा। रामा फोत हो चुका है उसका पुत्र कैलाश होकर प्रतिवादी संख्या 16 है। इस प्रकार विवादित आराजी में प्रार्थी एवं प्रतिवादी संख्या 5 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 व 6 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8, 9 व 10 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 11 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 12 से 15 का 1/7 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 16 का 1/7 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 17 व 18 का 1/7 हिस्सा है। विवादित भूमि पैत्रृक होकर संयुक्त हिन्दु परिवार की पैत्रृक भूमि है, जिसमें पक्षकारान अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज हैं। अब विपक्षीगण उक्त भूमि बेचने पर आमादा हैं। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण होकर सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में है। अएवं विवादित भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करने, उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करने एवं विक्रय, हस्तान्तरण नहीं करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विपक्षीगण द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित भूमि भगवानलाल के नाम करीब 40 वर्ष पूर्व अंकित हुई एवं उनकी मृत्यु के पश्चात विपक्षीगण साधिकार काबिज हैं। किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा

नहीं हुआ है। भगवानलाल की मृत्यु के 40 वर्ष बाद आवेदन पेश करने का कोई महत्व नहीं है।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 20–09–2013 से प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रार्थी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–03–2015 को प्रस्तुत की गई है।

अपील के साथ दफा मयाद कण्डोन का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के अधिवक्ता ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी उन्हें नहीं दी, जब दिनांक 02–03–2015 को विपक्षी ने मौके पर प्रार्थी को आकर कहा कि तुम्हारा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है, मौके से कब्जा खाली करो, तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानकारी दिनांक से अपील समयावधि में प्रस्तुत की जा रही है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षों को सुनने के बाद अपीलान्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता की उपस्थिति में निर्णय पारित किया है, जिसकी मयाद 2 माह होकर अपील 19–11–2013 तक प्रस्तुत कर दी जानी चाहिए थी, परन्तु यह अपील इस न्यायालय में करीब सवा वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत हुई, जिसके लिए जो आधार लिये गये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। इस सवा वर्षो में प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा अपने अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रकरण में अपने अधिवक्ता से सम्पर्क क्यों नहीं किया गया, इस बाबत् कोई तथ्य उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 20–09–2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर